

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 9] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 1976/माघ 24, 1897

No. 9] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 1976/MAGHA 24, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1976

का० नि० आ० 14 (ई).—छावनी अधिनियम 1924, (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड अम्बाला की सदस्यता में ले० कर्नल पी० एस० रंधावा के त्यागपत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के कारण एक रिक्ति हो गयी है।

[सं० फा० 29/22/सी०/ल०एण्ड सी०/66/51-एस० 1/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th February 1976

S.R.O. 14(E).—In pursuance of sub-section 3, of Section 14 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Ambala by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Lt. Col. P. S. Randhawa.

[No. F. 29/22/C/L&C/51-S/D(Q&C)]

का० नि० ग्रा० 15(ई).—छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा 2 के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा 3 का अनुसरण करते हुए अधिसूचित करती है कि ले० कर्नल सेवा राम को स्टेशन के आफिसर कमाण्डिंग द्वारा ले० कर्नल पी० एस० रंधावा के, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड अम्बाला के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

[सं० फा० 29/22/सी०/एल० एण्ड सी०/66/51-एस०/1 डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

एम० एल० दवे, संयुक्त सचिव।

S.R.O. 15(E).—In pursuance of Sub-section (3) read with clause (b) of sub-section (2) of Section 14 of the Cantonments Act, 1924, the Central Government hereby notifies that Lt. Col. Sewa Ram has been nominated by the Officer Commanding the Station as a member of the Cantonment Board, Ambala *vice* Lt. Col. P. S. Randhawa, who has resigned.

[No. F. 29/22/C/L&C/51-S/1/D(Q&C)]

M. L. DAVE, Jt. Secy.